संख्या 479/18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 10 जुलाई 2008

विषयः—श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, मान्यता प्राप्त पत्रकार जनपद उत्तरकाशी को आवास हेतु भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 1619–A/11–8/2003–04 दिनांक 21 मई, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, मान्यता प्राप्त पत्रकार को आवासीय प्रयोजन हेतु शासनादेश संख्या– 258/16 (1)/73–रा–1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/ 97–1 –1(60)/93–रा–1 दिनांक 12–9–97 के अनुसार वर्तमान बाजार दर की दो गुने दर से निकाली गयी भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा करने तथा नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके जनपद उत्तरकाशी के ग्राम डांग व लदाडी मध्ये खसरा नं0 501 अर्जित एवं रिक्त/ अनुपयुक्त भूमि में से 10×8= 80 वर्ग मी0 भूमि निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या– 150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30

....(2)

वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु सं0 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि में निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(7) उक्त आवंटन किसी नीति के अधीन नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसे अन्य प्रस्तावों पर इसे उदाहरण स्वरूप नहीं लिया जा सकता है।

2– उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, मान्यता प्राप्त पत्रकार, एम0आई0जी0 फ्लैट, केदार मार्ग, उत्तरकाशी।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।